संख्या-61/2022/1860ई-2/तेरह-2022/1670335

प्रेषक,

राजवीर सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 17 नवम्बर,2022

विषयः- मे. गोविन्द शुगर मिल्स लि. (प्रस्तावित मे. जुआरी इण्डस्ट्रीज लि.) ऐरा आसवनी, जिला- लखीमपुर खीरी को बी-हैवी शीरे से औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः जी.-242/दो-प्रा.डी.-162/मे. गोविन्द शुगर मिल्स लि., दिनांक 07-11-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 07-11-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मे. गोविन्द शुगर मिल्स लि. (प्रस्तावित मे. जुआरी इण्डस्ट्रीज लि.) ऐरा आसवनी, जिला- लखीमपुर खीरी को बी-हैवी शीरे से औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन किये जाने की दशा में स्वीकृत 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 330 लाख लीटर वार्षिक से अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत बढ़ाकर 125 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में330 कार्य दिवस के आधार पर 412.50 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(क) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा ।

(ख) आसवनी द्वारा शासनादेश दिनांक 01-02-2021 में लगायी गयी शर्तों एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट दिनांक 19-09-2022 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए उत्पादन कार्य किया जायेगा।

(ग)आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(घ) आसवनी द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग पैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा ।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।